कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–271/ 1253 रायपुर, दिनांक 23/05/2022

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

विषयः– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act,1980 Proposed for KUSMUNDA OPEN CAST MINE (Diversion of Additional 43.942 ha. of Revenue Forest Land for Expansion of Kusmunda Open Cast Coal Mine of M/s SECL for Coal Mining in Korba District of Chhattisgarh)**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त के पत्र क्रमांक/तक./1295 दिनांक 11.05.2023

–000–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने करें जिसके द्वारा मेसर्स एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा, वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव 04 प्रतियों मे अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

नोडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां पाई गयी हैः–

<u>ऑन लाईन कमियां</u>

1. Form A Part-I **के बिन्दु कमांक** C **में** KML file **अपलोड नहीं हैं। पुनः के एम एल अपलोड करते समय ध्यान रखे कि** KML file **के** attribute **में विवरण (जैसे** RF / PF along with Compartment no. and area in ha./ Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. **आदि) जानकारी के साथ अपलोड करें।**

2. फार्म–ए के पार्ट–2 के बिन्दु क्रमांक–13 में अपलोड़ के.एम.एल. फाईल के एट्रीब्यूट में विवरण **(जैसे** RF / PF along with Compartment no. and area in ha./ Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. **आदि)** सहित जानकारी अपलोड़ नहीं है। सुधार कर पुनः अपलोड करें।

3. फार्म–ए के पार्ट–2 के बिन्दु क्रमांक 13 **(iii)** में अपलोड़ **Geo-referenced map** वन मंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित नक्शा अपलोड नहीं किया गया हैं। सुधार कर अपलोड करें।

4. फार्म–ए के पार्ट–2 के बिन्दु क्रमांक 7 में दूरी 5.1 एवं प्रपत्र–3 के बिन्दु (vi) में दूरी 10 कि.मी. से अधिक लेख किया गया है। दोनो जानकारी में विसंगति है जिसे सुधार कर एकजाई जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड़ करें।

5. Online Form A Part-II **के बिन्दु कमांक** 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason) **में 94.293 हे. गेवरा ओपन कास्ट परियोजना मुख्य वन संरक्षक का निरीक्षण प्रतिवेदन भाग–3 अपलोड किया गया है। जो सही नहीं है। सुधार कर सही निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड करें।**

<u>ऑफ लाईन कमियां</u>

1. प्रस्ताव में आवेदित राजस्व वन भूमि रकबा 43.942 हे. का कलेक्टर जिला कोरबा के पत्र दिनांक 17.02.2016 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र 142.257 हे. का संलग्न किया गया है। आवेदित राजस्व वन भूमि एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र भिन्नता है। स्थिति स्पष्ट करें।

2. आवेदित राजस्व वन भूमि रकबा 43.942 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र 87.884 हे. होता है जबकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 99.577 हे. का प्रस्ताव संलग्न किया गया है जिसमें से जो 11.693 हे. अधिक है। अतः 11.693 हे. अधिक क्षेत्र का राशि जमा करने का वचन–पत्र अथवा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रकबा 87.884 हे. का संशोधित 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण अद्यतन दर से तैयार कर संलग्न करें।

3. व्यवस्थापन प्लान वन मंडलाधिकारी / मुख्य वन संरक्षक / जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन कमियों की पूर्ति हेतु ई.डी.एस. किया जा रहा है। अतः कमियों की पूर्ति कर जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–271/ 1254 रायपुर, दिनांक 23/05/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **वन मंडलाधिकारी**, कटघोरा वन मंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य महाप्रबंधक,** साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़